अध्याय 6

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर

माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर।

126. (1) धारा 2 की उपधारा (12) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा प्रदान करने और उसका वित्तपोषण करने की सरकार की प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार, संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार के रूप में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर नामक एक उपकर उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाएगा ।

(2) केंद्रीय सरकार, इस निमित्त संसद् द्वारा विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, धारा 2 की उपधारा (12) और इस अध्याय के अधीन उद्‌गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर की ऐसी धनराशि का उपयोग उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए, जिन्हें वह आवश्यक समझे, कर सकेगी ।

परिभाषा।

127. इस अध्याय में प्रयुक्त और केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो उनके, यथास्थिति, उन अधिनियमों या अध्याय में हैं । 1944 का 1 1962 का 52 1994 का 32

उत्पाद-शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर।

128. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की, जो विनिर्मित या उत्पादित माल है, दशा में धारा 126 के अधीन उद्‌गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, ऐसे सभी उत्पाद-शुल्कों पर [जिसके अंतर्गत विशेष उत्पाद-शुल्क या कोई अन्य उत्पाद-शुल्क भी है किन्तु वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 93 के अधीन प्रभार्य शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर नहीं है], जो केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के उपबंधों के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन केन्द्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा उद्‌गृहीत और संगृहीत किए जाते हैं, के कुल योग पर परिकलित एक प्रतिशत की दर से उत्पाद-शुल्क (जिसे इस धारा में शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर कहा गया है) होगा । 1986 का 5 2004 का 23 1994 का 1

(2) शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य उत्पाद-शुल्कों और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 93 के अधीन प्रभार्य शिक्षा उपकर के अतिरिक्त होगा । 1944 का 1 2004 का 23

(3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध जिसके अंतर्गत शुल्कों के प्रतिदाय और उससे छूटों तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन ऐसे माल पर उत्पाद-शुल्कों के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं । 1944 का 1

आयातित माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर।

129. (1) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट माल की दशा में, जो भारत में आयातित माल है, धारा 126 के अधीन उद्‌गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सीमाशुल्कों के, जो केंद्रीय सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 12 के अधीन उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाता है, योग पर संगणित एक प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क (जिसे इस धारा में आयातित माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर कहा गया है) होगा और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य कोई राशि सीमाशुल्क के अतिरिक्त होगी और उसी रूप में प्रभार्य राशि होगी, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं होगा। 1975 का 51 1962 का 52

(क) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 की उपधारा (5) में निर्दिष्ट अतिरिक्त शुल्क ; 1975 का 51

(ख) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8ख और धारा 8ग में निर्दिष्ट रक्षोपाय शुल्क ; 1975 का 51

(ग) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 में निर्दिष्ट प्रतिशुल्क ; 1975 का 51

(घ) सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क में निर्दिष्ट प्रतिपाटन शुल्क ; और 1975 का 51

(ङ) आयातित माल पर वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 94 के अधीन प्रभार्य शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर । 2004 का 23

(2) आयातित माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य सीमाशुल्कों और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 94 के अधीन प्रभार्य शिक्षा कर के अतिरिक्त होगा । 1962 का 52 2004 का 23

(3) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों के उपबंध, जिनके अंतर्गत शुल्कों की वापसी और छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध, नियम और विनियम भी हैं, जहां तक हो सके, आयातित माल पर माध्यमिक और 1962 का 52

1962 का 52 उच्चतर शिक्षा उपकर के उद्‌गहण और संग्रहण के संबंध में, उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे, यथास्थिति, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 या नियमों या विनियमों के अधीन ऐसे माल पर सीमाशुल्क के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं ।

कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर।

130. (1) ऐसी सभी सेवाओं की दशा में, जो कराधेय सेवाएं हैं, धारा 126 के अधीन उद्‌गृहीत माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा 1994 का 32 उपकर, ऐसे कर पर, जो वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 66 के अधीन उद्‌गृहीत और संगृहीत किया जाता है, एक प्रतिशत की दर से परिकलित एक कर (जिसे इस धारा में माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर कहा गया है), होगा।

1944 का 1 (2) उत्पाद-शुल्क्य माल पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 के अधीन या तत्समय 2004 का 23 प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे माल पर प्रभार्य किन्हीं अन्य उत्पाद-शुल्कों और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 की धारा 93 के अधीन प्रभार्य शिक्षा उपकर के अतिरिक्त होगा ।

1994 का 32 (3) वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जिसके अंतर्गत कर के प्रतिदायों और उससे छूट तथा शास्ति के अधिरोपण से संबंधित उपबंध भी हैं, जहां तक हो सके, कराधेय सेवाओं पर माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे, जैसे वे वित्त अधिनियम, 1994 के अध्याय 5 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन ऐसी कराधेय सेवाओं पर कर के उद्‌ग्रहण और संग्रहण के संबंध में लागू होते हैं।

2004 के अधिनियम 23 का संशोधन ।

131. वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2004 में,—

(1) धारा 93 की उपधारा (1) में, "शिक्षा उपकर नहीं है" शब्दों के स्थान पर, "वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 126 के अधीन उद्‌गृहीत शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर नहीं है" शब्द रखे जाएंगे;

(2) धारा 94 की उपधारा (1) के खंड (घ) में, "शिक्षा उपकर" शब्दों के स्थान पर, "वित्त अधिनियम, 2007 की धारा 126 के अधीन उद्‌गृहीत शिक्षा उपकर और माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा उपकर" शब्द रखे जाएंगे ।